BCCI BULLETIN

Vol. XXXXIX | March 2018 | No. 2

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

गुलाब की पंखुड़ियाँ बरसाकर चैम्बर में मनाया गया होली मिलन समारोह

होली मिलन समारोह में राधा कृष्ण के नृत्य का लुत्फ उठाते पटना की माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा श्री संजीव चौरसिया, श्री अजय कुमार, डॉ0 रमेश गाँधी एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। पीछे (दांये से) चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री आशीष शंकर एवं अन्य।

हर वर्ष की भांति बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 28 फरवरी 2018 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने एक-दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर होली की बधाई दी ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने कहा है कि होली आपसी प्रेम एवं एकता का प्रतीक है। होली हमें सभी मतभेदों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने की प्रेरणा प्रदान करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से होली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ावा दिया जाता है ।

चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने कहा कि चूंकि रंग एवं अबीर में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग होने लगा है, जो शरीर की त्वचा को तो नुकसान पहुँचाता है, पर्यावरण को प्रदूषित बनाता है तथा इससे जल की भी बर्बादी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर की ओर से पर्यावरण अनुकूल गुलाल, रंग-अबीर रहित फूलों की होली का आयोजन किया है। चैम्बर अध्यक्ष ने सभी अतिथियों पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का त्योहार आपसी भाईचारे व सद्भावना के साथ मनाएं।

श्री अग्रवाल ने कहा कि चैम्बर द्वारा आयोजित इस होली मिलन समारोह में चैम्बर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ राज्य के सभी तबके के गण्यमान्य महानुभाव सपरिवार इस समारोह में सम्मिलित होकर एक दूसरे पर फूलों की वर्षा कर होली की शुभकामनाएं दी। पटना की मेयर माननीय श्रीमती सीता साहु, माननीय सदस्य बिहार विधान सभा श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री नीतीन नवीन एवं श्री संजीव चौरसिया ने समारोह में सम्मिलित होकर चैम्बर परिवार का उत्साहवर्द्धन किया, साथ ही समारोह में भारत सरकार, बिहार सरकार, बैंक एवं पटना जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य गण्यमान्य लोग सम्मिलित हुए।

होली मिलन समारोह में आगंतुक सदस्यों/अतिथियों का स्वागत केशर तिलक लगाकर, गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर, इत्र लगाकर एवं रंग-बिरंगी

अध्यक्ष की कलम से.....

27 फरवरी, 2018 को श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा बिहार बजट 2018 विधान सभा में पेश हुआ। यह बजट बिहार के विकास को समर्पित है। पिछले बजट से इस बजट में 10% की वृद्धि की गयी है जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उप मुख्यमंत्री जी का सात निश्चयों के सफल कार्यान्वयन में यह बजट कारगर सिद्ध होगा।

इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा आदि के विकास को महत्व दिया गया है। राज्य में नये नर्सिंग, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना, सभी मेडिकल कॉलेजों में आई-बैंक की स्थापना, हरित क्षेत्र को 15% से 17% करना, 1500 कि.मी. सड़कों का निर्माण, राजगीर में जू-सफारी का निर्माण आदि घोषणाएं स्वागत योग्य है।

समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य प्राप्ति हेतु आशा थी कि इस बजट में उद्योग विभाग को गत वर्ष की तुलना में दोगुनी राशि का आबंटन होगा परन्तु सिर्फ 622.04 करोड़ का आबंटन किया गया है, इससे औद्योगीकरण के सपने को मूर्त्त रूप देने में कठिनाईयाँ आ सकती है।

उद्यमियों को आशा थी कि सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की समीक्षा कर कम से कम 2011 की नीति के अनुरूप प्रोत्साहन राशि औद्योगिक इकाईयों को उपलब्धा करायेगी। यदि उद्योग विभाग को आशानुरूप राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी तो उद्योगों की यह आशा भी धूमिल हो सकती है।

21 मार्च, 2018 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में 2018-19 के लिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए वृद्धि की गई है। उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनियों की वितरण क्षति 30% से 22% हुई है। 8% की वितरण क्षति कम होने से बिजली की दरों में कमी की जानी चाहिए थी, परन्तु दर में कमी न करके 5% की बढ़ोत्तरी किया जाना तर्क संगत नहीं है। उद्योग धंधों के विकास हेतु बिजली की दरों में कमी की जानी चाहिए। चैम्बर की ओर से मैंने सरकार से अनुरोध किया है कि बिजली की दरों में वृद्धि का सामंजस्य करें।

28 फरवरी, 2018 को हर वर्ष की भांति चैम्बर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसके आयोजन से संबंधित जानकारी माननीय सदस्यों को इसी बुलेटीन के माध्यम से दी जा रही है। इस समारोह में माननीय सदस्यों की सपरिवार उपस्थिति हेतु मैं धन्यवाद देता हूँ।

दिनांक 8 मार्च, 2018 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चैम्बर द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र के प्रांगण में चैम्बर एवं भारत सरकार के महिला एवं बाल-विकास मंत्रालय (खाद्य एवं पोषण बोर्ड) सामुदायिक खाद्य पोषण इकाई, पटना के संयुक्त तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्वीज एवं स्लोगन प्रतियोगिता सहित महिलाओं को पौष्टिक लडडू एवं शिशु आहार आदि बनाने की जानकारी दी गयी।

दिनांक 16 मार्च, 2018 को चैम्बर प्रांगण में भारत सरकार के निर्यात बन्धु स्कीम के तहत् निर्यात सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उप महा निदेशक (विदेश व्यापार) श्री जी० चक्रवर्ती ने स्कीम सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी।

21 मार्च, 2018 को चैम्बर में ई-वे बिल पर सदस्यों को वाणिज्य-कर विभाग की ओर से विस्तृत जानकारी दी गयी एवं बताया गया कि 01 अप्रैल, 2018 से अंतर्राज्यीय ई-वे बिल लागू हो जायेगी।

चैम्बर के कार्यक्रमों में आपकी रूचि एवं अधिकाधिक उपस्थिति हेतु हम आपके आभारी हैं।

पी० के० अग्रवाल
अध्यक्ष

राजस्थानी टोपी पहनाकर किया गया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री अग्रवाल ने बताया कि होली मिलन समारोह में आगन्तुकों के लिए होली के पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उनके मनोरंजन हेतु सुविख्यात कलाकार संजय शर्मा एण्ड पार्टी, कोलकता को बुलाया गया था। संजय शर्मा एण्ड पार्टी के कलाकारों ने होली के पारंपरिक गीतों एवं नृत्यों से सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। चैम्बर प्रांगण में वृन्दावन की होली की छटा देखने को मिली। जिसमें राधा कृष्ण का नृत्य भी मनमोहक था।

समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी पूर्व अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह, श्री मोती लाल खेतान, होली मिलन समारोह के संयोजक श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, सह-संयोजक श्री आशिष शंकर, वरीय सदस्य श्री सुबोध कुमार जैन, श्री नवीन कुमार मोटानी, श्री आलोक पोद्दार, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री सावल राम डोलिया, श्री पवन भगत, श्री शशि गोयल, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री अजय कुमार, श्री सुनिल सराफ, डॉ० रमेश गाँधी, श्री राजेश जैन के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी सपरिवार समारोह में सम्मिलित हुए।

होली मिलन समारोह में उपस्थित (बांये से दांये) डॉ रमेश गाँधी, श्री शशि गोयल, चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष एवं होली मिलन समारोह आयोजन समिति के संयोजक श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, सह-संयोजक श्री आशीष शंकर, श्री राजेश जैन, चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, श्री राजकुमार एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया।

समारोह में चैम्बर अधयक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को केशर तिलक लगाती महिला।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह को राजस्थानी पगड़ी पहनाते समारोह के संयोजक श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं आयोजन समिति के सह-संयोजक श्री आशीष शंकर।

समारोह में उपस्थित (बांये से दांये) श्री राजकुमार, सह-संयोजक श्री आशीष शंकर, उपाध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री राजेश जैन, संयोजक श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री शशि गोयल, चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं श्री सुबोध कुमार जैन।

समारोह में उपस्थित (बांये से दांये) श्री राजकुमार सराफ, श्री अजय कुमार, सह-संयोजक श्री आशीष शंकर, माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, आयोजन समिति के संयोजक श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, सांवल राम डूलिया एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

समारोह में उपस्थित (दांये से क्रमशः) श्री सच्चिदानन्द, श्री मोती लाल खेतान, पूर्व अध्यक्ष, श्री मुकेश कुमार जैन, उपाध्यक्ष, श्री बी. एन. सिंह एवं श्री सुबोध कुमार जैन।

समारोह में उपस्थित (दांये से क्रमशः) माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया, श्री सच्चिदानन्द, उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर।

समारोह में राधा कृष्ण नृत्य में शामिल बाँये से श्री शशि गोयल, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष श्री ओ. पी. साह एवं अन्य।

कलाकारों की नृत्य प्रस्तुति।

कलाकारों की राधा कृष्ण नृत्य की प्रस्तुति।

राधा कृष्ण नृत्य में सम्मिलित माननीय विधायक श्री नीतीन नवीन, श्री अजय कुमार, श्री राजकुमार सराफ, श्री शशि गोयल, श्री सुधीर गुप्ता, श्री आशीष शंकर एवं अन्य।

माननीय विधायक श्री अरूण कुमार सिन्हा का गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं अन्य।

समारोह में राजस्थानी गीत पर नृत्य करती महिलाएँ।

सुस्वादिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन करते अतिथिगण एवं सदस्यगण।

चैम्बर में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्वीज एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन

दीप प्रज्ज्वलित कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का शुभारंभ करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयी ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं डॉ. गीता जैन। बाँयी ओर सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के प्रभारी अधिकारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा, श्री एम. पी. जैन एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज तथा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रलय (खाद्य एवं पोषण बोर्ड) सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के संयुक्त तत्वावधाान में दिनांक 08 मार्च 2018 को चैम्बर प्रांगण में चैम्बर द्वारा नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्वीज एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन के साथ-साथ महिलाओं को

समारोह में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करती सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई की श्रीमती अनिशा तिर्की।

समारोह में उपस्थित प्रशिक्षण केन्द्र की महिला प्रशिक्षुओं को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयी ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, श्री भरत लाल गुप्ता एवं डॉ. गीता जैन। बाँयी ओर प्रभारी अधिकारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा, श्री एम. पी. जैन एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

पौष्टिक लड्डू, मिस्सी रोटी एवं शिशु आहार बनाने के बारे में जानकारी दी गई ।

समारोह का उद्घाटन चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने किया एवं अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को शुभकामना देते हुए कहा कि सरकार के स्तर से महिलाओं के उत्थान हेतु कई प्रकार की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक महिलायें उठाएं, उसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर की ओर से फरवरी 2014 में चैम्बर प्रांगण में ही कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई थी तथा उस समय से लगातार दो पालियों में महिलाओं को सिलाई-कटाई, मेंहदी एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब तक चैम्बर से प्रशिक्षित करीब हजारों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने एवं अपने परिवार के भरण-पोषण में योगदान कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि चैम्बर का उद्देश्य है कि अधिकाधिक महिलाओं को स्वाबलम्बी बनाया जाए ।

श्री अग्रवाल ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर घोषणा की कि चैम्बर की ओर से बहुत जल्द आधारभूत संरचना को विकसित कर प्रशिक्षण केन्द्र में ही ब्यूटिशियन कोर्स प्रारम्भ होने जा रहा है क्योंकि ब्यूटिशियन कोर्स समय की मांग है और यह कोर्स महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायक होगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने इस अवसर पर आधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति के डॉ० गीता जैन को सम्मानित भी किया ।

इसके पूर्व सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई, पटना के प्रभारी अधिकारी श्री श्याम सुन्दर सिन्हा ने महिलाओं को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रलय (खाद्य एवं पोषण बोर्ड) द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी एवं चैम्बर प्रांगण में विश्व महिला दिवस के आयोजन हेतु चैम्बर के प्रति आभार व्यक्त किया । इस अवसर पर सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई द्वारा पोषाहार प्रदर्शनी भी लगायी गयी ।

इस अवसर पर महिलाओं के मनोबल को बढ़ाने हेतु क्वीज एवं स्लोग्न प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया । क्वीज प्रतियोगिता में सुनीता वर्णवाल, प्रथम, जूली यादव, द्वितीय एवं ज्योति कुमारी तृतीय स्थान पर रहीं तथा सांत्वना पुरस्कार प्रियंका कुमारी को दिया गया । स्लोग्न प्रतियोगिता में पूजा श्रीवास्तव, प्रथम, अनुष्का कुमारी, द्वितीय एवं अमृता प्रीतम, तृतीय स्थान पर रही तथा सांत्वना पुरस्कार अर्चना कुमारी को दिया गया । प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाली महिलाओं को पुरस्कृत करते हुए मंत्रलय की ओर से प्रमाण-पत्र भी दिया गया ।

समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य श्री भरत लाल गुप्ता एवं श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, अधार महिला विकास स्वावलम्बी सहकारी समिति की श्रीमती गीता जैन एवं श्री मुनेश जैन तथा सामुदायिक खाद्य एवं पोषण विस्तार इकाई की श्रीमती अनिशा तिर्की एवं काफी संख्या में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही प्रशिक्षु महिलाएं समारोह में उपस्थित थे ।

चैम्बर में भारत सरकार के निर्यात बन्धु स्कीम एवं निर्यात से संबंधित समस्याओं पर उप महानिदेशक, व्यापार के साथ बैठक संपन्न

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के सदस्यों के साथ चैम्बर प्रांगण में दिनांक 16 मार्च, 2018 को भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उप महानिदेशक विदेश व्यापार के साथ बैठक हुई।

अतिथियों का स्वागत करते हुए चैम्बर अध्यक्ष श्री पी0 के0 अग्रवाल ने बताया कि भारत सरकार का यह प्रयास है कि अधिकाधिक व्यवसायी निर्यात के क्षेत्र से जुड़कर अपनी-अपनी वस्तुओं के उत्पाद का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाएं। इससे न केवल व्यवसायियों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि साथ-साथ सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। सौदा लागत को कम करने और समय में कटौती करने हेतु व्यापार सरलीकरण भारत सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है जिसके द्वारा भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो रहा है। सरकार द्वारा आयात और निर्यात व्यापार के हितधारियों के लाभ हेतु व्यापार सरलीकरण की दिशा में विदेश व्यापार नीति के विभिन्न उपबंधों में संशोधन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि बहुत से व्यवसायी एवं उद्यमी निर्यात क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं परन्तु निचले स्तर पर जानकारी के अभाव में वे इससे नहीं जुड़ पाते हैं साथ ही उन्होंने उप महानिदेशक से अनुरोध किया कि इस प्रकार की बैठक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर भी आयोजित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किस वस्तु का कहाँ निर्यात किया जा सकता है, ये व्यवसायियों को पता नहीं होता है। यदि निर्यात सम्बन्धी वेबसाईट पर इस सम्बन्ध में जानकारी मिले तो व्यवसायियों को काफी सुविधा रहेगी।

बैठक में उप महानिदेशक श्री जी० चक्रवर्ती ने निर्यातकों की सुविधा के लिए लाए गये ''निर्यात बन्धु स्कीम'' की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रलय का मुख्य उद्देश्य एक्सपोर्ट काउंसिल के माधयम से निर्यातकों के विभिन्न योजनाओं को मेला, सेमिनार एवं वर्कशाप के माधयम से जानकारी देना है।

उन्होंने आगे बताया एक्जीम बैंक के तहत जो सही में निर्यातक हैं उन्हें प्री लोन भी उपलब्ध कराना है जिससे कि विदेश विनिमय को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि निर्यात से जुड़कर व्यवसायी अपनी आमदनी के साथ -साथ सरकार के राजस्व में भी बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

बैठक में उप-महानिदेशक श्री जी. चक्रवर्ती को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयी ओर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी एवं कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल तथा बाँयी ओर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के साथ-साथ वरीय सदस्य श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री गणेश कुमार खेतड़ीवाल, श्री जी० पी० सिंह, श्री पी० के० सिंह, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय के साथ-साथ सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे ।

चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

थोड़ी सी तैयारी से ई-वे बिल की मुश्किलों का हो जाएगा समाधन

चैम्बर में ई-वे बिल की जानकारी देते वाणिज्य-कर विभाग के अपर सचिव श्री अरूण कुमार मिश्रा। उनकी बाँयी ओर क्रमशः संयुक्त आयुक्त श्री संतोष कुमार, श्री शंकर मिश्रा, श्री मोहनाथ मिश्रा, श्री राजेश कुमार, उपायुक्त श्री दीपक कानन एवं अन्य।

एक अप्रैल 2018 से सामान आदि के अंतरराज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल अनिवार्य हो जाएगा। थोड़ी सी सावधानी और तैयारी से नए प्रावधानों का लाभ राज्य के व्यापारी, उपभोक्ता और ट्रांसपोर्टर उठा सकते हैं। ये बातें बुधवार दिनांक 21 मार्च 2018 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 'ई-वे बिल' पर आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार मिश्रा ने कहीं। उन्होंने कहा कि पचास हजार रुपये से ऊपर कर देय माल के लिए 'ई-वे बिल' अनिवार्य होगा। इसे विक्रेता, खरीदार या ट्रांसपोर्टर कोई भी खुद ही जेनरेट की सकता है। इससे सामान को लाने-भेजने की व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी हो जाएगी।

उन्होंने साफ किया कि सभी व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को ई-वे बिल वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। इनमें वे व्यापारी भी शामिल हैं जो पहले से जीएसटी के तहत निर्बंधित हैं। जो अबतक जीएसटी के तहत निर्बंधित नहीं हैं उन्हें सामान को लाने-ले जाने के लिए खुद को 'इन-रोल्ड' कराना जरूरी है। जो ई-वे बिल वेबसाइट पर ना तो निर्बंधित हैं ना ही इन-रोल्ड हैं, वे अपने सामान का परिवहन नहीं कर पाएंगे।

कार्यशाला में वाणिज्य कर विभाग के अभिनव कुमार झा (सीटीओ), शिवन कुमार (डिप्टी कमिश्नर), सुनील कुमार सिंह (जेसीसीजे), आकाश कुमार (सीटीओ), मोहानाथ मिश्रा (ज्वाइंट कमिश्नर), शंकर मिश्रा (ज्वाइंट कमिश्नर), संतोष कुमार (ज्वाइंट कमिश्नर), राजीव कुमार (एडिशनल कमिश्नर) सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्यमी, अधिवक्ता, सीए और अकाउंटेंट आदि भी मौजूद थे। कार्यशाला का आयोजन वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र.) पटना पूर्वी व पश्चिमी प्रमंडल के संयुक्त बैनर तले आयोजित किया गया था। उद्यमियों को वेबसाइट पर खुद को निर्बंधित कराने की अपील की गई। एक अप्रैल को अनिवार्य रूप से लागू होने वाले ई-वे बिल के कारण राज्य के व्यापारियों को समस्या नहीं हो, इसके लिए 29 मार्च से 24 घंटे सातों दिन हेल्पलाइन नंबर '9199273130', '9472457846' '0612-2233512'

'0612-2233516' और टोल फ्री नंबर '18003456102' शामिल है।

यह है मालों के परिवहन का ई-वे बिल : ई-वे बिल मालों के परिवहन के लिए बनाया जाने वाला एक इलेक्ट्रानिक रोड परमिट है। इसे सीजीएसटी रूल्स के नियम 138 के प्रावधानों के अनुरुप ई-वे बिल के पोर्टल पर बनाया जा सकता है। यह सुविधा एसएमएस और मोबाइल एप के माध्यम से भी विभाग उपलब्ध कराएगा। एक अप्रैल से अंतरराज्यीय परिवहन के लिए ई-वे बिल लागू होगा। इसमें मालों के बाधारहित परिवहन सुनिश्चित की जाएगी। सड़क मार्ग से परिवहन के मामले में परिवाहन प्रारंभ होने के पूर्व ई-वे बिल बनाना अनिवार्य है। रेलवे द्वारा प्राप्तकर्ता को सामान या माल की डिलीवरी करने के समय ई-वे बिल अनिवार्य रूप से मांगा जाएगा। माल लादकर भार के लिए जाने वाले वाहनों के लिए ई-वे बिल जरूरी नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टर से प्राप्तकर्ता के गोदाम तक माल पहुँचाने के लिए भी ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। लेकिन गोदाम की सीमा 20 किलोमीटर निर्धारित है। पहले यह सीमा दस किलोमीटर थी। ई-वे बिल बनाने के क्रम में पार्ट ए में माल का ब्यौरा अंकित करना है। इसमें आठ सूचनाएं भरा जाना अनिवार्य है। सामान्य कन्साइमेंट के लिए 100 किलोमीटर की दूरी के लिए बनाए गए ई-वे बिल की समय-सीमा एक दिन की होगी। इसके बाद प्रत्येक 100 किलोमीटर अथवा इसके किसी भाग के लिए वेलिडीटी एक अतिरिक्त दिन की होगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 22.3.2018)

शिक्षा, सड़क पर होगा मोटा निवेश

बजट का एक तिहाई हिस्सा सड़क एवं शिक्षा पर होगा खर्च, जीएसटी से घटा राजस्व

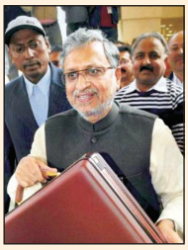

• उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राज्य विधानसभा में 1.76 लाख करोड़ रुपये का बजट किया पेश, 84,672 करोड़ रुपये स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में होंगे खर्च • योजनागत मद में राज्य सरकार करेगी 92,317 करोड़ रुपये खर्च • शिक्षा विभाग को सर्वाधिक 32,125 करोड़ रुपये का आवंटन • सड़कों पर खर्च होंगे 17, 400 करोड़ रुपये

बिहार सरकार का अगले वित्त वर्ष में भी शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। इसीलिए राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का करीब एक-तिहाई इन्हीं पर खर्च करने का फैसला लिया है। दूसरी तरफ, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वजह से राज्य सरकार की कमाई पर असर हुआ है।

राज्य सरकार ने इस बार किसी नए कर का ऐलान नहीं किया है। राज्य के उप-मुखमंत्री व वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दिनांक 27 फरवरी 2018 को बिहार विधान सभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया। मोदी ने विधानसभा में करीब 1.76 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इसमें से 84,672 करोड़ रुपये स्थापना और प्रतिबद्ध मद में खर्च किए जाएंगे। इसमें से करीब 80,500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वेतन, पेंशन, ब्याज और ऋण वापसी के लिए किया जाएगा।

वहीं, योजनागत मद में राज्य सरकार 92,317 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं, राज्य सरकार को केन्द्रीय करों में हिस्से के रूप में 76,172 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि अपने स्रोतों से बिहार को 35,447 करोड़ रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार को केन्द्र से अनुदान के मद में 46,431 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस बार राज्य सरकार ने अपने करों से करीब 31,000 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा है, जो पिछले साल की तुलना में कम है। मोदी ने बताया, 'पिछले साल का अनुमान ज्यादा था, जिसे हमने यथार्थवादी बनाया है। हमें इस बार करीब 20 हजार करोड़ रुपये वाणिज्य करों से कमाई होगी। इसके अलावा, जीएसटी क्षतिपूर्ति के मद में अब तक 3,000 करोड़ रुपये मिले हैं। हालांकि, हमारी कोशिश अपने पैरों पर खड़े होने की है।'

राज्य सरकार ने इस बार सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा विभाग के लिये किया है, जहाँ 32,125 करोड़ रुपये मिले हैं। वहीं, सड़कों पर राज्य सरकार ने 17, 400 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा, राज्य सरकार इस साल के अंत तक सभी गाँवों तक बिजली पहुँचाने के लिए 10,250 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करेगी।

दूसरी तरफ, स्वास्थ्य विभाग के लिए करीब 7,800 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जबकि कल्याणकारी कामों के लिए लगभग 10,200 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया है।

घोषणाओं की लगाई झड़ी : बिहार सरकार ने अपने बजट में इस बार कई अहम घोषणाएँ की हैं। इसके तहत अगले साल तक राज्य में कृषि के लिए अलग फीडर बना लेने का ऐलान किया। राज्य सरकार मंदिरों की चाहरदीवारी निर्माण पर भी 30 करोड़ रुपये खर्च करोगी। इसके अलावा, अपने बजट भाषण में उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में 'जैविक कॉरिडोर' विकसित करने का ऐलान किया, जो गंगा नदी के किनारे पटना से भागलपुर तक और दनियावां से बिहारशरीफ तक राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे बनाया जाएगा। राज्य सरकार करीब 6,500 करोड़ रुपये की लागत से अगले साल के अंत तक कृषि के लिए अलग फीडर भी बनाकर तैयार कर लेगी। नए कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि शिक्षण संस्थानों की स्थापना का भी ऐलान किया। दूसरी तरफ, राज्य सरकार ने इस साल में 6 अहम पुल परियोजनाओं को चालू करने का वादा किया है। इस साल गंडक, गंगा, कोसी और सोन नदी पुल परियोजनाएँ भी चालू होंगी।

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 28.2.2018)

बजट आकार बढ़ने से विकास को मिलेगी रफ्तार

राज्य के औद्योगिकीकरण के सपने को साकार करने के लिए उद्योग विभाग का आवंटन बढ़ाना चाहिए

निबंधन शुल्क में वृद्धि से प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर पड़ेगा असर

एक्सपर्ट-व्यू

आम बजट, 2018-19 के आकार में पिछले वर्ष की तुलना में 10 फीसदी वृद्धि किये जाने से राज्य के विकास कार्यों को गति मिलेगी। साथ ही राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री के सात निश्चय को कार्यान्वित कराने की दिशा में यह बजट काफी कारगर सिद्ध होगा। बजट में राज्य के चहुमुखी विकास पर बल देने के लिए कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा आदि के विकास पर विशेष बल दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा राजगीर में जू सफारी का निर्माण से अधिकाधिक पर्यटक आकर्षित होंगे, हालांकि राज्य में पहले से ही निबंधन शुल्क अधिक था। उसमें और वृद्धि किये जाने का प्रतिकूल प्रभाव प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करते हुए इस संबंध में देश के अन्य प्रदेशों के निबंधन शुल्क का आकलन करना चाहिए। राज्य के समुचित औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उम्मीद थी कि इस बजट में उद्योग विभाग को पिछले वर्ष की तुलना में कम-से-कम दोगुनी राशि का आवंटन किया जायेगा, लेकिन केवल 622.04 करोड़ का ही आवंटन किया है। इससे बिहार के समुचित औद्योगिकरण का सपना साकार होने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। राज्य में आवश्यकता अनुरूप उद्योग के लिए लैंड बैंक के जरिये जमीन उपलब्ध कराना, साथ ही समुचित संख्या में नये औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की योजनाओं की सफलता में दिक्कतें आ सकती हैं। औद्योगिक क्षेत्र में जमीन के वर्तमान सर्किल रेट को घटाने की भी कोई घोषणा बजट में नहीं की गयी है।

> "राज्य के उद्यमियों को ऐसी आशा थी कि सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की समीक्षा कर कम-से-कम 2011 की नीति के अनुरूप प्रोत्साहन औद्योगिक इकाइयों को देगी, लेकिन उद्योग विभाग को यदि आशानुरूप राशि नहीं उपलब्ध करायी गयी तो यह आशा भी धूमिल हो सकती है।
>
> **– पी० के० अग्रवाल**
> **अध्यक्ष**
> **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज**

(साभार : प्रभात खबर, 28.2.2018)

बिहार बजट 2018-19 का आकार 1,76,990 करोड़

स्कीम व्यय 92.3 हजार करोड़
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 84.6 हजार करोड़

जिन क्षेत्रों पर अधिक खर्च होगी राशि (करोड़ में) : • शिक्षा - 81.1% (2135.64) • सड़क - 9.83% (17,477.67) • ग्रामीण विकास - 8.74% (10257.6) • ऊर्जा - 5.80% (15,471.05) • समाज कल्याण - 3.86% (6,839.82) • समाज कल्याण - 4.27% (7564.43)

कृषि रोड-मैप में शामिल विभाग : कृषि रोड-मैप में कृषि के अलावा जल संसाधन, लघु जल संसाधन, लघु जल संसाधन, ऊर्जा, ग्रामीण कार्य, राजस्व एवं भूमि सुधार, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सहकारिता, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन, वन एवं पर्यावरण, उद्योग एवं गन्ना उद्योग विभाग शामिल हैं।

साल-दर-साल (बजट करोड़ में) : • 2016-17 (1,44,696) • 2017-18 (1,60,086) • 2018-19 (1,77,198)

राज्य का राजस्व संग्रह
(राशि करोड़ में)

2011-12	13,501.96
2012-13	17,388.35
2013-14	21,505.51
2014-15	22,308.21
2015-16	27,634.82
2016-17	26,145.37
2017-18*	34,876.08
2018-19*	35,447.92

*अनुमानित

पिछले दो बजट पर एक नजर
(राशि करोड़ में)

मद	2016-17	2017-18
शिक्षा	21,897	25,251
पेंशन	16,225	19,878
ऊर्जा	14,367	10,905
ग्रामीण कार्य	7,150	9,518
ग्रामीण विकास	5,510	9,717
पंचायती राज	7,183	8,694
गृह	7,297	7,448
स्वास्थ्य	8,234	7,002

(साभार : दैनिक जागरण, 4.3.2018)

जमीन के बदले मिले फ्लैटों पर भी टैक्स

• अभी तक जमीन मालिक नहीं दे रहे थे टैक्स • आयकर ने निगम व रजिस्ट्री ऑफिस से मंगाया ब्योरा • 450 जमीन मालिकों का ब्योरा पटना नगर निगम ने आयकर को भेजा

आयकर विभाग अपार्टमेंट व कॉम्प्लेक्स के जमीन मालिकों पर भी शिकंजा कसने जा रहा है। अब कैपिटल गेन पर भी आयकर की वसूली होगी। यानी अपार्टमेंट के जमीन मालिक को जमीन के बदले जो फ्लैट या दुकानें मिलती हैं, उस पर भी टैक्स भरना होगा। इस प्रावधान से अपार्टमेंट के जमीन मालिकों में खलबली मची है। आयकर नियम में यह प्रावधान पूर्व से ही था, पर बिहार में यह लागू नहीं था। अभी तक अपार्टमेंट के जमीन मालिक टैक्स नहीं दे रहे थे और इससे सरकार को राजस्व का घाटा हो रहा था। अब इस नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा।

"जमीन मालिक को जमीन के बदले जो फ्लैट यो दुकान मिलते हैं उस पर भी टैक्स भरना होगा वरना पेनाल्टी भी लगेगी व अभियोजन का केस भी दायर किया जाएगा।"

– **के. सी. घुमरिया, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,** बिहार परिमंडल

(साभार : हिन्दुस्तान, 26.2.2018)

जीएसटी क्षतिपूर्ति हेतु 59,000 करोड़

केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने के बाद राज्यों को हुई राजस्व क्षतिपूर्ति के लिए 59,000 करोड़ रुपये की राशि राज्यों की हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इसके अलावा केन्द्रीय बिक्री कर यानी सीएसटी की मद में भी राज्यों को 1,384.59 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की जाएगी।

संसद में पेश वर्ष 2017-18 की पूरक अनुदान मांगों के चौथे बैच में इसके लिए अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गई है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने चालू वित्त वर्ष की अनुपूरक अनुदान मांगों की चौथी किस्त को लोकसभा में पेश किया।

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 9.3.2018)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. Ops. 781/Air Connectivity/ 2017/323 15 February, 2018

Shri P. K. Agrawal,
President,
Bihar Chamber of Commerce & Industries,
Khemchand Chaudhary Marg,
PATNA - 800001

Sub: Request to start to & fro flights operation from Gaya Airport due to inclement and foggy weather conditions prevailing at the Patna Airport.

Sir,

Reference your letter No. 9 dated 5th January, 2018 addressed to Hon'ble Minister of Civil Aviation on the above subject.

In this regard it is intimated that Gaya is an operational airport of AAI. Request for light operation from Gaya Airport due to inclement and foggy weather conditions at Patna airport can be agreed by AAI subject to acceptability of this proposal by airlines.

However, Airlines plan their flight schedule on a specific route / cities based on market demand, commercial feasibility and their company policy on which AAI has no jurisdiction.

Thanking you,

Yours faithfully,
Sd/-
(J. P. Alex)
Executive Director (Ops.)

Copy to :

Shri P. J. Thomas, Under Secretary, MoCA, RG Bhawan, New Delhi - with reference to your letter No. AV. 24033/2(5)/ 2018- AAI dated 30.1.2018.

अगले माह से सभी जिलों में दाखिल-खारिज ऑनलाइन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगले माह से बिहार के सभी जिलों में भू-लगान और दाखिल-खारिज की व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। किसानों को अब यह आसानी से मालूम हो जाएगा कि उस पर कितना भू-लगान बाकी है। अभी लोग कर्मचारी को ढूंढते फिरते हैं। पेमेंट गेटवे की उपलब्धता के साथ यह काम आरंभ होने से लोगों को काफी सहुलियत होगी। विधान परिषद एनेक्सी में चंपारण एग्रेरियन बिल 1918 की शत वार्षिकी पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने यह बात कही।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.3.2018)

विद्युत दरों में बढ़ोतरी तर्कसंगत नहीं : चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग की ओर से वर्ष 2018-19 के लिए घोषित विद्युत दरों में की गई वृद्धि का सामंजस्य करने का आग्रह किया है। चैम्बर ने कहा है कि विद्युत दरों में कमी की जगह वृद्धि करना तर्कसंगत नहीं है।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि पूर्व से ही विद्युत दरें काफी अधिक हैं। इसके बावजूद डीएस-11श्रेणी में 45 पैसे प्रति यूनिट यानी पाँच फीसद की वृद्धि होने से अधिक बोझ बढ़ेगा। इस श्रेणी में शहरी उपभोक्ता आते हैं। अग्रवाल ने कहा कि साउथ बिहार एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वितरण क्षति की सीमा को 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद कर दिया गया है। इस तरह से आठ फीसद वितरण क्षति सीमा कम होने पर वर्तमान विद्युत दरों में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन पाँच फीसद की वृद्धि कर दी गई है जो तर्कसंगत-नहीं है। व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थानों के लिए एलटीआइएस की श्रेणी के साथ ही औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए एचटी श्रेणी में 9.29 फीसद की वृद्धि की गई है। राज्य के उद्योग धंधों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्युत दरों को कम करना चाहिए जिससे कि बिहार में उद्योगों का विकास हो सके।

(साभार : दैनिक जागरण, 22.3.2018)

BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

Existing, Proposed and Approved Retail Tariff (Without Govt Subsidy) for NBPDCL and SBPDCL Area for FY 2018-19 (w.e.f 1st April 2018)

SCHEDULE OF TARIFF RATES

Sl No.	Category/Subcategory of Consumers	Existing Tariff without Govt Subsidy for FY 2017-18			Proposed Tariff (without Govt Subsidy) by NBPDCL and SBPDCL for FY 2018-19			Approved Tariff (without Govt Subsidy) for NBPDCL and SBPDCL area for FY 2018-19		
		Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs	Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs	Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs
A	**LOW TENSION SUPPLY**									
1	**Domestic**									
1.1	Kutir Jyoti (Unmetered) (BPL)	Rs. 350/month/connection	0		Rs. 350/month/connection	0		Rs. 350/month/connection	0	
1.2	Kutir Jyoti (metered) (BPL)	Rs.10/Month/Connection	Rs.5.75/unit	0-50 units	Rs.50/Month/Connection	Rs.5.15/unit	0-50 units	Rs.10/Month/Connection	Rs.6.15/unit	0-50 units
			As per DS-I Metered	Above 50 units					As per DS-I or DS-II	Above 50 units
1.3	DS-I Rural (Unmetered)	Rs. 500/month/connection	0		Rs. 500/month/connection	0		Rs. 500/month/connection	0	
1.4	DS-I Rural (Metered)	Rs.20/kW or part/month	Rs.5.75/Unit	0-50	Rs. 100/kW/month	Rs.5.15/Unit	0-50	Rs. 20/kW or part/month	Rs.6.15/Unit	0-50
			Rs.6.0/Unit	51-100		Rs.6.50/Unit	51-100		Rs.6.40/Unit	51-100
			Rs.6.25/Unit	Above 100		Rs.7.50/Unit	Above 100		Rs.6.70/Unit	Above 100
1.5	DS-II (Demand based)	Rs.40/kW/month	Rs..5.75/Unit	1-100	Rs.200/kW/month	Rs.4.60/Unit	1-100	Rs.40/kW or part/month	Rs.6.15/Unit	1-100
			Rs.6.50/Unit	101-200		Rs.6.90/Unit	101-200		Rs.6.95/Unit	101-200
			Rs.7.25/Unit	201-300		Rs.8.40/Unit	201-300		Rs.7.80/Unit	201-300
			Rs.8.0/Unit	Above 300		Rs.8.90/Unit	Above 300		Rs.8.60/Unit	Above 300
2	**Non Domestic**									
2.1	NDS-I Rural (Unmetered	Rs. 550/month/connection	0		Rs. 550/month/connection	0		unmetered category abolished and consumers merged under NDS-I metered category		
2.2	NDS-I Rural (Metered)	Rs.30/kW or part/month	Rs.6.0/Unit	1-100	Rs. 175/kW/month	Rs.4.0/Unit	1-100	Rs. 30/kW or part/month	Rs.6.40/Unit	1-100
			Rs.6.50/Unit	101-200		Rs.7.00/Unit	101-200		Rs.6.95/Unit	101-200
			Rs.7.0/Unit	Above 200		Rs.7.50/Unit	Above 200		Rs.7.50/Unit	Above 200
	NDS-II(Demand based)									
2.3	NDS-II Contract demand upto 0.5 kW	Rs. 100/month/connection	Rs.6.0/Unit	All Units	Rs. 200/month/connection	Rs.6.0/Unit	All Units	Rs. 100/month/connection	Rs.6.40/Unit	All Units
2.4	NDS-II Contract demand above 0.5 kW	Rs.180/kW or part/month	Rs.6.0/Unit	1-100	Rs. 300/kW/month	Rs.5.0/Unit	1-100	Rs. 180/kW or part/month	Rs.6.40/Unit	1-100
			Rs.6.50/Unit	101-200		Rs.5.80/Unit	101-200		Rs.6.95/Unit	101-200
			Rs.7.0/Unit	Above 200		Rs.6.40/Unit	Above 200		Rs.7.50/Unit	Above 200
3	**Irrigation and Agriculture Services (Connected load based)**									
3.1	IAS-I (Unmetered)	Rs.800/HP or part/month	0		Rs. 420/HP/month	0		Rs.800/HP or part/month	0	
3.2	IAS-I(Metered)	Rs. 30/HP or part/month	Rs.5.25/Unit	All Units	Rs. 100/HP/month	Rs.2.50/Unit	All Units	Rs. 30/HP or part/month	Rs.5.60/Unit	All Units
3.3	IAS-II (Unmetered)	Rs. 2100/HP or part/month	0		Rs.1700/HP/month	0		unmetered category abolished and consumers merged under IAS-II metered category		
3.4	IAS-II(Metered)	Rs. 200/HP or part/month	Rs.6.20/Unit	All Units	Rs. 550/HP/month	Rs.5.50/Unit	All Units	Rs. 200/HP or part/month	Rs.6.65/Unit	All Units
4	**Low Tension Industrial (Demand Based, kVAH)**									
4.1	LTIS-I	Rs.160/kW or part/month	Rs.6.05/kVAh	All Units	Rs.220/kW/month	Rs.5.8/kVAh	All Units	Rs.144/kVA or part/month	Rs.6.50/kVAh	All Units
4.2	LTIS-II	Rs.200/kW or part/month	Rs.6.05/kVAh	All Units	Rs 220/kW/month	Rs.5.9/kVAh	All Units	Rs 180/kVA or part/month	Rs.6.50/kVAh	All Units
5	**Public Water Works (Demand based,kVAh)**									
5.1	PWW	Rs.350/kW or part/month	Rs.7.50/kVAh	All Units	Rs 500/kW/month	Rs.6/kVAh	All Units	Rs 315/kVA or part/month	Rs.8.05/kVAh	All Units
6	**Street Light Services**									
6.1	SS-Metered (Connected load based)	Rs.50/kW or part/month	Rs.7.0/Unit	All Units	Rs 1000/kW/month	Rs.5.5/kVAh	All Units	Rs 50/kW or part/month	Rs.7.50/Unit	All Units
6.2	SS-Unmetered	Rs.375/100W or part/month	0		Rs 3600/kW/month	0		Rs 375/100W or part/month	0	
B	**HIGH TENSION SUPPLY**									
1	HTS-I	Rs. 300/kVA/Month	Rs.6.20/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA/Month	Rs.5.0/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.65/kVAh	All Units
2	HTS-II	Rs. 300/kVA/Month	Rs.6.15/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA/Month	Rs.5.2/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.60/kVAh	All Units
3	HTS-III	Rs. 300/kVA/Month	Rs.6.10/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA/Month	Rs.5.3/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.55/kVAh	All Units
4	HTS-IV	Rs. 300/kVA/Month	Rs.6.05/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA/Month	Rs.5.3/kVAh	All Units	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.50/kVAh	All Units
5	HTSS (33kV)	Rs. 700/kVA/Month	Rs.3.70/kVAh	All Units	Rs. 800/kVA/Month	Rs.5.2/kVAh	All Units	Rs.700/kVA/Month	Rs.4.15/kVAh	All Units
6	RTS (132kV)	Rs. 280/kVA/Month	Rs.6.35/kVAh	All Units	Rs. 500/kVA/Month	Rs.5.8/kVAh	All Units	Rs.280/kVA/Month	Rs.6.80/kVAh	All Units

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES (BCCI) PARTICIPATION IN VARIOUS GOVERNMENT & PUBLIC BODIES DELIBERATIONS

PREFERENTIAL PURCHASE POLICY OF DEPARTMENT OF INDUSTRIES GOVT. OF BIHAR

A meeting was held to discuss on Preferential Purchase Policy of Deptt.of Industries, Govt. of Bihar on 13th February, 2018 under the Chairmanship of Principal Secretary, Industry Department at the Conference Hall of Industries Department. Shri Pradip Kumar, Dy. Secretary, Industry was also present in the meeting.

Shri Amit Mukherji, Secretary General, BCCI and Shri S. K. Patwari, Convenor, Industry Sub-Committee, BCCI participated in the meeting.

Summary of Discussion : Purchase preference is to be given by each and every department and on all such purchase committees there is one representative from the Deptt. of Industries and the Deptt. of Industries has issued a financial circular on this. A list of PSU units and the sector wise vendors is to be made by the BCCI and BIA and this will then be taken up at different meetings with the PSUs. There are certain differences in rules and regulations of the centre and the State which will we looked into and sorted out.

BIADA PCC MEETING

A meeting was organized by BIADA in its office on 15th February, 2018 to finalise the list of approved consultant for the Bihar State. It was decided to consult all the trade organization of the State to submit the list of consultant available in their area for final approval of the list.

Shri S. K. Patwari, Convenor, Industry Sub-Committee, represented BCCI. The Executive Director of BIADA was in chair besides two other officers.

BIHAR SHOP & ESTABLISHMENT BILL 2017

A meeting to discuss the Draft Bihar Shops & Establishment Bill 2017 was organsied on 19th February, 2018 at the premises of Labour Resources Department at Niyojan Bhawan, Patna under the Chairmanship of Shri Vijay Kr. Sinha, Hon'ble Labour Resources Minister of State. Besides Shri Gopal Meena, IAS, Labour Commissioner, some Commercial Organisation representatives along with Shri N. K. Thakur, Vice President, Shri Amit mukherji, Secretary General of BCCI were present in the meeting.

Following decision were taken:-

1. LIN (Labour Identification Number) for those, already registered, need not apply again.
2. One more person, other than owner or employee will need registration with S&E department.
3. Sickness Certificate for sick employee must be issued by a Regd. Medical Practioner.
4. The passing of business confidential information will be added to misconduct
5. The wording of Chapter VIII-20(1) require change
6. Labour deptt. can access the nature of trade information on the GST Portal.

Meeting of Stakeholder of proposed MSME Technnology Centre at Bihta

A meeting was organized by MSME department on 23rd February, 2018 at MSME Development Institute, Patliputra Industrial Estate, which was presided by Dr. A. K. Singh. Shri Amit Mukherji, Secretary General, BCCI was present besides Shri R. B. P. Singh, Deptt. of Industries, Bihar and representative of BIA, Patliputra Industrial Estate and few others.

It was made known to all present that MSME, Govt. of India intents to open 13 more such tool rooms in India, which includes one at Patna and for which land has already been acquired at Bihta. Currently there are two such institutes are already functioning, one at MSME Institute premises and one at Aurangabad dedicated to automobiles. The aim is to provide training to such technical people of such industries in maintenance, preparing of models etc. and also to provide ancillary services to large industries of the State.

Meeting with Principal Chief Commissioner of Income Tax (Bihar & Jharkhand)

A meeting under the Chairmanship of Shri K. C. Ghumaria, Principal Chief Commissioner of Income Tax (Bihar & Jharkhand) was held on 5th March 2018 in the Conference Room of Income Tax Building.

Shri P. K. Agrawal, President, Shri Amit Mukherji, Secretary General, Shri Vishal Tekriwal, Hony.Treasurer, Shri Rajesh Khetan, Shri Sunil Saraf and Shri Alok Poddar participated the meeting on behalf of the Chamber.

Summary of discussion :-

1. The target for the collection of Income Tax for the current financial target is 12,200 crores of which 8200 crores has been collected till date bearing a balance of 5000 crores which has to be collected within March 2018.
   Growth in revenue collection Y-O-Y basis is 4.3%.
2. The new assesses target has seen an achievement of 75% and the balance 25% has to be achieved.
3. The survey and analysis of the date regarding T.O., advance tax, large refunds, sudden increase in agricultural income, OCM/ Demonitisation, share capital & share premium and annual comparison of business losses & profits have been completed and those assesses whose data shown the above points are being issued notice u/s 133(6) and this has been done under the orders of Principal CCIT.
4. The problems regarding CPC, intimation regarding demand notice has not been received but interest has been calculated from the date demand was raised u/s 220 submit the memorandum to him directly and any other grievances enabling him to take up the matter with the higher authority.
5. In case the employer's fails to submit AS 26 giving details of TDS collected the CPC correctly shows the failure but on the resubmission of the same the portal continues to show the default.
6. All the above points can be sent to him on his email id:- patna.pccit@incometax.gov.in
7. SBI and other banks are refusing to accept payment of Income Tax either by cash or cheque the Principal CCIT was requested by the participating members to take up the issues with the Banks & RBI so as to stop harassment of taxpayers.
8. He requested all the participating members to propagate payment of advance tax and thereby increase revenue.

10.1% GROWTH IN FOREIGN TOURIST ARRIVALS IN FEBRUARY, 2018 OVER FEBRUARY, 2017

- The percentage share of Foreign Tourist Arrivals (FTAs) in India during February 2018 among the top 15 source countries was highest from Bangladesh (18.28%) followed by USA (12.40%), UK (11.75%), Canada (4.36%), Russian Federation (4.20%), France (3.24%), Malaysia (3.14%), Germany (3.04%), Sri Lanka (2.89%), Australia (2.65%), China (2.33%), Japan (2.09%), Thailand (1.92%), Afghanistan (1.65%) and Nepal (1.41%) .
- The percentage share of Foreign Tourist Arrivals (FTAs) in India during February 2018 among the top 15 ports was highest at Delhi Airport (30.95%) followed by Mumbai Airport (15.85%), Haridaspur Land Check Post (8.58%), Chennai Airport (6.60%), Goa Airport (5.32%), Bengaluru Airport (4.93%), Kolkata Airport (4.75%), Cochin Airport (2.63%), Gede Rail Land Check Post (2.58%), Hyderabad Airport (2.39%),Ahmedabad Airport (2.05%), Amritsar Airport (1.46%), Sonauli Airport (1.28%), Ghojadanga Land Check Post (1.27%) and Trivandrum Airport (1.23%).

(Source : ASSOCHAM e-mail dated 20th March, 2018)

Ministry of Finance

RECOMMENDATIONS REGARDING E-WAY BILL MADE DURING MEETING OF THE GST COUNCIL

In the 26th meeting held on 10th March 2018, the GST Council has recommended the introduction of e-way bill for inter-State movement of goods across the country from 01 April 2018. For intra-State movement of goods, e-way bill system will be introduced w.e.f. a date to be announced in a phased manner but not later than 01 June, 2018.

Major improvements over the last set of rules, as approved by the Council now, are as follows:

- E-way bill is required to be generated only where the value of the consignment exceeds Rs. 50000/-. For smaller value consignments, no e-way bill is required.
- The provisions of sub-rule (7) of Rule 138 will be notified from a later date. Therefore, at present there is no requirement to generate e-way bill where an individual consignment value is less than Rs. 50,000/-, even if the transporter is carrying goods of more than Rs. 50,000/- in a single conveyance.
- Value of exempted goods has been excluded from value of the consignment, for the purpose of e-way bill generation.
- Public conveyance has also been included as a mode of transport and the responsibility of generating e-way bill in case of movement of goods by public transport would be that of the consignor or consignee.
- Railways has been exempted from generation and carrying of e-way bill with the condition that without the production of e-way bill, railways will not deliver the goods to the recipient. But railways are required to carry invoice or delivery challan etc.
- Time period for the recipient to communicate his acceptance or rejection of the consignment would be the validity period of the concerned e-way bill or 72 hours, whichever is earlier.
- In case of movement of goods on account of job-work, the registered job worker can also generate e-way bill.
- Consignor can authorize the transporter, courier agency and e-commerce operator to fill PART-A of e-way bill on his behalf.
- Movement of goods from the place of consignor to the place of transporter up to a distance of 50 Km [increased from 10 km] does not require filling of PART-B of e-way bill.They have to generate PART-A of e-way bill.
- Extra validity period has been provided for Over Dimensional Cargo (ODC).
- If the goods cannot be transported within the validity period of the e-way bill, the transporter may extend the validity period in case of transhipment or in case of circumstances of an exceptional nature.
- Validity of one day will expire at midnight of the day immediately following the date of generation of e-way bill.
- Once verified by any tax officer, the same conveyance will not be subject to a second check in any State or Union territory, unless and until, specific information for the same is received.
- In case of movement of goods by railways, airways and waterways, the e-way bill can be generated even after commencement of movement of goods.

(Source : PIB, 10.3.2018)

Ministry of Finance

26TH MEETING OF THE GST COUNCIL MEETS & DECIDES EXTENSION OF TAX EXEMPTIONS FOR EXPORTERS FOR SIX MONTHS

Sending a strong positive signal to the exporting community, the GST Council in its 26 meeting held on 10th March 2018 decided to extend the available tax exemptions on imported goods for a further 6 months beyond 31.03.2018. Thus, exporters presently availing various export promotion schemes can now continue to avail such exemptions on their imports upto 01.10.2018, by which time an e-Wallet scheme is expected to be in place to continue the benefits in future.

In a related development which would benefit the exporters, the Council reviewed the progress in grant of refunds to exports of both IGST and Input Tax Credit. The Council appreciated that the pace of grant of IGST refund has picked up. Thereafter, the Council directed GSTN to expeditiously forward the balance refund claims to the Customs/Central GST/State GST authorities, as the case may be, for their immediate sanction and disbursal.

It may be recalled that in its meeting held on 06.10.2017 the Council had noted that exporters are experiencing difficulties of cash blockage on account of having to upfront pay GST / IGST on the inputs, raw materials etc. / finished goods imported / procured for purposes of exports. An interim solution was found by re-introducing the pre-GST tax exemptions on such imports. Additionally, for merchant exporters a special scheme of payment of GST @ 0.1% on their procured goods was introduced. Also, domestic procurement made under Advance Authorization, EPCG and EOU schemes were recognized as 'deemed exports' with flexibility foreither the suppliers or the exporters being able to claim a refund of GST / IGST paid thereon. All these avenues were made available upto 31.03.2018.

The permanent solution agreed to by the Council was to introduce an e-Wallet scheme w.e.f. 01.04.2018. The e-Wallet scheme is basically the creation of electronic e-Wallets, which would be credited with notional or virtual currency by the DGFT. This notional / virtual currency would be used by the exporters to make the payment of GST / IGST on the goods imported / procured by them so their funds are not blocked.

On 16.12.2017, Finance Secretary constituted a Working Group with representatives of Central and State Governments to operationalize the e-Wallet scheme. After reviewing the progress, the Council noted that whereas some preparatory work had been done, more needs to be done to address a large number of technical, legal and administrative issues that have been identified. The Council appreciated that this would require more time. The Council was also unanimous that there should be no disruption that may affect the exports. Accordingly, the Councilagreed to:

(a) Defer the implementation of the e-Wallet scheme by 6 months i.e., upto 01.10.2018; and

(b) Extend the present dispensation in terms of exemptions etc. which is available up to 31.03.2018, for a further 6 months i.e., upto 01.10.2018.

(Source : PIB, 10.3.2018)

Ministry of Finance

RECOMMENDATIONS REGARDING DATA ANALYTICS MADE DURING THE 26th MEETING OF THE GST COUNCIL

In the 26 meeting held on 10th March 2018, the GST Council has been apprised of the fact that CBEC and GSTN have started detailed data analytics across a number of data sets available with them. The outcome of preliminary data analysis has revealed interesting insights:

- It has emerged that there is variance between the amount of IGST & Compensation Cess paid by importers at Customs ports and input tax credit of the same claimed in GSTR-3B.
- There are major data gaps between self-declared liability in FORM GSTR-1 and FORM GSTR-3B.

It was deliberated that this information may be further analysed and adequate action may be initiated accordingly. **(Source : PIB, 10.3.2018)**

Ministry of Finance

RECOMMENDATIONS MADE DURING THE 26th MEETING OF THE GST COUNCIL HELD IN NEW DELHI HELD ON 10th MARCH 2018

I. Return filing System

The present system of filing of GSTR 3B and GSTR 1 is extended for another three months i.e., April to June, 2018 till the new return system is finalized. A new model was discussed extensively and Group of Ministers on IT has been tasked to finalize the same.

II. Reverse charge mechanism

The liability to pay tax on reverse charge basis has been deferred **till 30.06.2018.** In the meantime, a Group of Ministers will look into the modalities of its implementation to ensure that no inconvenience is caused to the trade and industry.

III. TDS/TCS

The provisions for deduction of tax at source (TDS) under section 51 of the CGST Act and collection of tax at source (TCS) under section 52 of the CGST Act shall remain suspended till 30.06.2018. In the meantime, the modalities of linking State and Central Governments accounting system with GSTN will be worked out so that seamless credit is available to the registered traders whose tax is deducted or collected at source.

IV. Grievance Redressal Mechanism

GST implementation Committee (GIC) has been tasked with the work of redressing the grievances caused to the taxpayers arising out of IT glitches. **(Source : PIB, 10.3.2018)**

MSMEs MAY BE ALLOWED TO BID FOR OWN FIRM

Insolvency law panel wants review of clause on 'connected person' and ' related party'

The insolvency law committee, headed by the Ministry of Corporate Affairs Secretary Injeti Srinivas, is expected to suggest significant changes in the Insolvency and Bankruptcy Act.

The 14- member expert panel is looking at allowing promoters of micro, small & medium enterprises (MSMEs) undergoing resolution to bid for their own companies, a source said. The expert panel is also likely to provide clarity on whether homebuyers can be treated as operational or financial creditors. The need for cross-border insolvency is also being deliberated. In addition, the committee would remove any ambiguity around the definition of "connected person" and "related party" in the recently amended Insolvency Act. A Clear "cooling off" period may also be introduced.

CHANGES UNDER DISCUSSION : • Allow bankrupt MSME promoters to bid for their companies. Nearly 70% are likely to opt for liquidation • Define " connected person" and "related party" clearly to avoid ambiguity in interpretation • Define whether homebuyers are Operational or financial creditors • Indude cross-border insolvency whithin the ambit of the Insolvency and Bankruptcy code • Look at ways to fast track resolution

It the cross-border insolvency provisions come into effect, these will be on the lines of the United Nations Commission of International Law model **(Details : Business Standard, 8.3.2018)**

देश में 29 में से 11 राज्यों को विशेष दर्जा मिला है, 5 अन्य भी मांग रहे हैं

कैसे मिलता है दर्जा

भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनों के लिहाज से मिलता है : संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। 1969 में पहली बार पांचवें वित्त आयोग के सुझाव पर 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला। इनमें वे राज्य थे जो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक संसाधनों के लिहाज से पिछड़े थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की।

पहली बार कब मिला

49 साल पहले तीन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला था : 1969 तक केन्द्र के पास राज्यों को अनुदान देने का कोई निश्चित मानक नहीं था। तब केन्द्र की ओर से राज्यों को सिर्फ योजना आधारित अनुदान ही दिए जाते थे। 1969 में पाँचवें वित्त आयोग ने गाडगिल फॉर्मूले के तहत पहली बार 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया। इनमें असम, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर थे। देश में 11राज्यों को विशेष दर्जा मिला है। अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को बाद में मिला।

क्या है फायदा

केन्द्र, विशेष राज्यों को 90% अनुदान देता है : विशेष राज्य का दर्जा पाने वाले राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा दी गई राशि में 90% अनुदान और 10% रकम बिना ब्याज के कर्ज के तौर पर मिलती है। जबकि दूसरी श्रेणी के राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा 30% राशि अनुदान के रूप में और 70 % राशि कर्ज के रूप में दी जाती है। इसके अलावा विशेष राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट, इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। केन्द्रीय बजट में प्लान्ड खर्च का 30% हिस्सा विशेष राज्यों को मिलता है। विशेष राज्यों द्वारा खर्च नहीं हुआ पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है।

• केन्द्र के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अलावा बिहार, ओडिशा, राजस्थान व गोवा की सरकारें केन्द्र सरकार से विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हैं। **(साभार : दैनिक भास्कर, 9.3.2018)**

बिना चेकअप हुआ बीमा भी वैध

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल जाँच के बिना प्रीमियम राशि वसूलने पर बीमा पॉलिसी जायज है। यदि मेडिकल जाँच अनिवार्य है तो बीमा कंपनी को पहले डाक्टरी मुआयना करने के बाद ही प्रीमियम वसूलना चाहिए। प्रीमियम वसूलने के बाद और बीमाधारक की मौत होने पर उसे मुआवजे की राशि अदा करने के बजाए मेडिकल जाँच नहीं कराने का बहाना नहीं चलेगा। मृतक की परिजन सम्पूर्ण बीमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। **(राष्ट्रीय सहारा, 18.2.2018)**

विदेशी बैंक मनमाने ढंग से कर्ज नहीं बांट पाएंगे

सरकारी और घरेलू निजी बैंकों के बाद आरबीआई ने बहुराष्ट्रीय बैंकों पर भी सख्ती शुरू कर दी है। केन्द्रीय बैंक ने को कहा कि विदेशी बैंक मनमाने तरीके से कर्ज नहीं बांट पाएंगे। उन्हें कर्ज का 40 फीसदी हिस्सा लघु और सीमांत किसानों और छोटे उद्योगों को देना होगा।

आरबीआई निजी क्षेत्र में उधारी (पीएसएल) मानकों को लेकर यह व्यवस्था एक अप्रैल लागू करने जा रहा है। यह व्यवस्था भारत में 20 से ज्यादा

शाखाओं वाले विदेशी बैंकों पर लागू होगी। इसका असर स्टैंडर्ड एण्ड चार्टर्ड, सिटी और एंचएसबीसी जैसे बैंकों पर होगा। पीएसएल मानकों के तहत विदेशी बैंकों को वास्तव में 40 फीसदी कर्ज निजी क्षेत्र में कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों को देना होगा। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.3.2018)**

बैंक मित्र की तर्ज पर प्रतिनिधि नियुक्त होंगे, मध्यस्थता के जरिये समाधन पर जोर

ग्राहक की शिकायत घर बैठे दर्ज होगी

आपकी शिकायत दर्ज करने के लिए अब सरकार आपके पास आएगी। इसके लिए सिर्फ एक टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करनी होगी और प्रतिनिधि तय वक्त में आपके घर पहुँच शिकायत दर्ज कर उसे हल करने की कोशिश करेगा। ताकि, कंपनियों के कानूनी दांवपेच से पहले ही उपभोक्ताओं की शिकायतें मध्यस्थता के जरिये हल की जा सकें।

कैसे काम करेंगे उपभोक्ता प्रतिनिधि

टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल के बाद उपभोक्ता प्रतिनिधि आपसे सपर्क कर अपने डिवाइस के जरिए शिकायत को दर्ज करेंगे। शिकायत स्थानीय स्तर की है, तो फौरन चर्चा कर हल करने की कोशिश होगी। अन्यथा प्रदेश स्तर पर नियुक्त प्रतिनिधि संबंधित कंपनी से बात कर उपभोक्ता की शिकायत को दूर कराने का प्रयास करेगा। कंपनियों को भी मध्यस्थता के जरिए विवाद को सुलझाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

लगातार बढ़ती शिकायत : वर्ष : 2015-16 में 172558, 2016-17 में 294069 एवं 2017-18 में 310202 (आंकड़े नवम्बर 2017 तक)

किन-किन विभागों की दर्ज होगी शिकायत : ई-कॉमर्स, बैंकिंग, एयरलाइंस, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोल-डीजल, नाप-तौल और दवाइयाँ आदि। **(विस्तृत: हिन्दुस्तान, 12.3.2018)**

नगर निगम में 71 करोड़ रुपये के घाटे का बजट पेश

1.75 करोड़ रुपए से खत्म होगी पटना के जलजमाव की समस्या

नगर निगम का 2018-19 का बजट में करीब 71 करोड़ घाटे का अनुमान जताया गया है। आय 7.80 करोड़ और व्यय 8.52 करोड़ रखा गया है। चारों अंचल के जलजमाव से निजात को 1.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मौर्यालोक में निगम का लोक शिकायत निवारण का कार्यालय के निर्माण पर भी सहमति बनी। निगम के सैदपुर बादशाही एवं कुर्जी नाला पर एलिवेटेड रोड बनाने को अनापत्ति प्रमाण शर्त के साथ पथ निर्माण विभाग को दिया गया। वार्ड 21 के अदालतगंज बालिका मध्य विद्यालय के पीछे भूगर्भ नाला एवं पीसीसी निर्माण को भी मंजूरी दी गई। निगम के स्वामित्व वाले 15 पथों के अधिग्रहण के लिए भी अनापत्ति देने पर सहमति प्रदान की गई। यह सब निगम की स्टैंडिंग कमेटी की मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया।

576 करोड़ सरकार देगी : कमिश्नर केशव रंजन ने बताया कि वर्ष 2018-19 में आय 7,79,72,25,000 रुपए होगा। इसमें 576 करोड़ राज्य सरकार से मिलेगा और 216 करोड़ निगम आंतरिक संसाधन से जुटाएगा। इसके बाद भी करीब 71 करोड़ घाटा होगा। पहले वर्ष किए कार्य का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं होने से राशि की निकासी रोक दी गई है। इस कारण से काम पर असर पड़ा है। नए वितत्तीय वर्ष में हर पार्षद को 3-4 ग्रुप बनाकर राज्य के बाहर दूसरे शहर में स्टडी को भेजा जाएगा, ताकि वहाँ की सफाई और काम आदि की जानकारी ले सकें। बैरिया में बनने वाले इंटरस्टेट बस टर्मिनल के लिए 270 करोड़ में से 50 करोड़ की राशि निगम को मिल गई है। हालांकि निर्माण कार्य बुडको करा रहा है।

सीटी अंचल को मिला 15 लाख : जलजमाव को लेकर एनसीसी अंचल उत्तर में 44 योजना को 72,62,000, दक्षिण के 12 योजना को 20,50,000, सिटी अंचल के 13 योजना को 15,30,000, बांकीपुर अंचल के 7 योजना को 46,68,300 एवं कंकड़बाग अंचल के 8 योजना को 20,55,300 राशि का उपबंध किया गया है।

25 पथ के अधिग्रहण को अनुमति : पथ निर्माण विभाग को निगम ने 15 पथों का अधिग्रहण कर निमाण को अनापत्ति देने का निर्णय लिया गया।

• अगमकुआँ, पहाड़ी पथ से छोटी पहाड़ी, बडी पहाड़ी, मुसहरी होते एनएच. 1 तक • सुदर्शन पथ से शेरशाह पथ वाया गुलजारबाग हाट एवं दादरमंडी होते शेरशाह रोड (सादिकपुर टीओपी) तक • एनएच 30 फोरलेन से सादिकपुर पभेड़ा मसौढ़ी (एनएच 01) वाया कृष्णा निकेतन (जहकरिया पथ) होते नंदलाल छपरा • अशोक राजपथ के कटरा बाजार रिकाबगंज, दीदारगंज होते एसएच 106 तक रोड निर्माण • अशोक राजपथ के मालसलामी से नगला, चुटकिया बाजार, रामधनी रोड, गुरु का बाग, नूरपुर होते अशोक राजपथ और चुटकिया बाजार (बड़ी देवी जी) से जमुनापुर होते संग्रामपुर तक • अशोक राजपथ से शरीफागंज, दमराही घाट होते अशोक राजपथ • अगमकुआँ पहाड़ी पथ से त्रिलोकनगर होते पुरानी बाइपास पथ तक • बेगमपुर-दौलतपुर रोड से जल्ला महावीर स्थान होते गुरु गोविद लिंक पथ तक (वाया चैनपुरा, सीधे बाजार) • कुम्हरार शनिचरा-संदलपुर पथ से विकास कालोनी अशोका विहार, प्रोफेसर कालोनी होते सैदपुर नहर पथ तक • वार्ड 38 कदमकुआँ बारी पथ से ठाकुरबाड़ी रोड होते पाटलिपुत्र टाइल्स नाला रोड चौराहा तक भूगर्भ नाला एवं पथ निर्माण • कंकड़बाग, लोहियानगर पोस्ट ऑफिस वाली रोड • बाजार समिति चौराहा से रेल गुमटी कुम्हरार पथ • अशोक राजपथ से भिखना पहाड़ी तक • मीठापुर-खगौल पथ से कन्नुलाल होते नदौल पथ को जोड़ने वाला रोड।

(साभार : आई नेक्स्ट, 9.3.2018)

निजी क्षेत्र में खुलेंगे 54 कौशल विकास केन्द्र

इस साल अप्रैल से निजी क्षेत्र में 54 नए कौशल विकास केन्द्र खुलेंगे। इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रस्ताव के मुताबिक नए वित्तीय वर्ष में युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने और उनके लिए रोजगार सृजन का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि मई तक सभी स्वीकृत केन्द्रों को खोल दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में संचालित केन्द्रों की मॉनीटरिंग की जा रही है। इस साल ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे युवाओं के लिए नई नौकरियाँ भी सृजित होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सरंचनाओं के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे भी रोजगार बढ़ने की उम्मीद है।

इन कोर्स में प्रशिक्षण की व्यवस्था : वस्त्र एवं हस्तकरघा, कॉल सेंटर, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य देखभाल, आइटी, पर्यटन, टेलीकॉम, घर-सज्जा, इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर फिटिंग, ज्वलेरी।

(साभार : दैनिक जागरण, 7.3.2018)

नहीं बढ़ेगा होल्डिंग टैक्स, नए घरों को भी दायरे में लाएगा नगर निगम

नगर निगम अगले वित्तीय वर्ष में भी होल्डिंग टैक्स नहीं बढ़ाएगा। इसके बदले नए घरों को इसके दायरे में लाने का लक्ष्य तय होगा। चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य का आधा पूरा होना भी मुश्किल है। वसूली के लिए एजेंसी रखने के साथ ही नगर निगम मुख्यालय, चारों अंचलों के अलावा अलग से तीन केन्द्र खोलने के बाद भी अबतक करीब 40 करोड़ की ही वसूली हुई है। एजेंसी तकनीकी समस्याओं में ही फंसी है। निगम के अफसर बताते हैं कि शहर की सभी होल्डिंग को अबतक ऑनलाइन नहीं किया जा सका है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 5.3.2018)

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दो नए क्षेत्रीय कार्यालय जल्द

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दो क्षेत्रीय कार्यालय जल्द ही चालू होंगे। गया और भागलपुर में क्षेत्रीय कार्यालय से लोगों को सभी सुविधाएँ मिलेंगी। कार्यालय शुरू होने के बाद वहाँ के लोगों को पटना आना नहीं पड़ेगा। क्षेत्रीय कार्यालयों में उद्योगों के लिए प्रदूषण नियंत्रण का मॉडल, प्रदूषण अनापति सहित सभी तरह के कार्य होंगे। यह जानकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार घोष ने दी। **(साभार : दैनिक जागरण, 9.3.2018)**

क्या होता है जीडीपी, क्या हैं इसके मायने?

हाल में आपने एक खबर पढ़ी होगी कि वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही में 7.2 फीसद की जीडीपी वृद्धि के साथ भारत ने चीन (6.8 फीसद) को पछाड़कर विश्व की सबसे तेज विकास दर वाली अर्थव्यवस्था का तमगा फिर हासिल कर लिया है। अक्सर आपको अखबार में जीडीपी, विकास दर जैसी आर्थिक शब्दावली पढ़ने को मिलती है। इनका अर्थ क्या है? इसमें वृद्धि या गिरावट का आशय क्या है? 'जागरण पाठशाला' में हम ऐसी ही आर्थिक शब्दावली समझने का प्रयास करेंगे। जीडीपी के साथ आज हम इसकी शुरूआत कर रहे हैं।

सकल घरेलू उत्पाद : किसी देश में एक साल में कृषि, उद्योग और सेवाओं के रूप में कितना उत्पादन हुआ? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है? यह जानने का प्रचलित तरीका सकल घरेलू उत्पाद (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) यानी जीडीपी है। किसी देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य (रुपये के हिसाब से मूल्य) को जीडीपी कहते हैं। हालांकि जीडीपी का आकलन करते वक्त सकत मूल्य वर्द्धन यानी जीवीए में टैक्स को जोड़ दिया जाता है और इसमें से सब्सिडी को घटा दिया जाता है।

जीडीपी दो प्रकार से व्यक्त होता है- प्रचलित मूल्य यानी वर्तमान कीमतों पर और स्थायी मूल्य यानी आधार वर्ष पर (जैसे 2011-12 के मूल्य स्तर पर)। जीडीपी जब स्थायी मूल्यों पर होता है तो उसमें से मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा दिया जाता है। यही वजह है कि जब किसी तिमाही या वर्ष में जीडीपी वृद्धि स्थायी मूल्यों पर व्यक्त की जाती है, तो उसे 'विकास दर' कहते हैं।

संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (यूएनएसएनए) के तहत सभी देश अपने यहाँ राष्ट्रीय उत्पादन या कहें राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जीडीपी का तरीका अपनाते हैं। हमारे देश में केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) जीडीपी की गणना करता है। सैद्धांतिक तौर पर जीडीपी गणना तीन आधार-उत्पादन, आय और व्यय पर होती है। सीएसओ के मुताबिक, 'जीडीपी एक संदर्भ अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के सकल मूल्य वर्द्धन (जीवीए) का कुल योग होता है।'

इससे स्पष्ट है कि जीडीपी समझने के लिए तीन बातों- 'संदर्भ अवधि', 'निवासी उत्पादक इकाइयाँ' और 'सकल मूल्य वर्द्धन को समझना' जरूरी है।

संदर्भ अवधि से आशय तिमाही या वित्त वर्ष से है, जो एक अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होता है। वित्त वर्ष चार तिमाहियों-अप्रैल से जून, जुलाई से सितम्बर, अक्टूबर से दिसम्बर और जनवरी से मार्च-तक होता है और प्रत्येक तिमाही के लिए जीडीपी के अलग आंकड़े आते हैं। उदाहरण के लिए 28 फरवरी को जीडीपी में 7.2 प्रतिशत वृद्धि का जो आंकड़ा सीएसओ ने जारी किया वह चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर) का था। इस तरह इसमें संदर्भ अवधि तीसरी तिमाही थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि जीडीपी में वृद्धि का यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2017-18 की तीसरी तिमाही के जीडीपी की तुलना वित्त वर्ष 2016-17 की तीसरी तिमाही के जीडीपी से कर के ज्ञात किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इस साल किसी तिमाही के जीडीपी वृद्धि के आंकड़े पर गौर कर रहे हैं तो उसकी तुलना पिछले साल की समान तिमाही से ही करनी होगी क्योंकि पूर्व तिमाही से तुलना करने पर विसंगति आ जाती है।

अब हम **'निवासी उत्पादक इकाइयों'** का अर्थ समझते हैं। दरअसल जब व्यक्ति या कंपनी भारत में छह माह से अधिक रहते हैं और उनका मुख्यत: आर्थिक हित भारत में ही है तो उन्हें निवासी इकाइयाँ माना जाता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि निवासी उत्पादक इकाई की परिभाषा में आने के लिए भारतीय नागरिक या भारतीय कंपनी होना जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए यदि कोई अमेरिकी कंपनी भारत में अपना कारखाना लगाती है, तो उसका उत्पादन भारत के जीडीपी में शामिल होगा।

अब हम **'सकल मूल्य वर्द्धन'** को समझते हैं क्योंकि जीवीए में टैक्स को जोड़ने और सब्सिडी को घटाने पर ही जीडीपी का आंकड़ा प्राप्त होता है। दरअसल जब किसी उत्पाद के मूल्य से उसकी इनपुट लागत को घटा दिया जाता है तो जो राशि बचती है उसे जीवीए कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई कंपनी 20 रुपये में ब्रेड का पैकेट बेचती है और इसे बनाने में 16 रुपये का इनपुट इस्तेमाल होता है तो उस स्थिति में जीवीए चार रुपये माना जाएगा। इस तरह भारत में अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर-प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को मुख्यत: आठ क्षेत्रवार समूहों में विभाजित कर जीवीए का अनुमान लगाया जाता है। **(साभार : दैनिक जागरण, 12.3.2018)**

क्या होती है मुद्रास्फ़ीति?

'जागरण पाठशाला' के इस अंक में हम मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर के बारे में समझेंगे। यह ऐसी आर्थिक शब्दावली है जिससे हर कोई परिचित है। गरीब-अमीर, कर्मचारी-पेंशनर, मजदूर-उद्यमी और केन्द्रीय बैंक-सरकार, हर कोई इससे प्रभावित होता है। इसका असर किसी पर कम, किसी पर ज्यादा, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है, उस पर सबसे ज्यादा पड़ता है। राजनीतिक दल महंगाई काबू रखने के बादे पर चुनाव लड़ते हैं, सत्ता में आते हैं। वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो सत्ता से चले भी जाते हैं। मुद्रास्फीति क्या है? इसका मतलब क्या है? हर माह थोक और खुदरा महंगाई दर के जो आंकड़े आते हैं, उनका क्या अर्थ है? आम लोगों के जीवन से उनका क्या संबंध है? एक निश्चित अवधि में चुनिंदा वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में जो वृद्धि या गिरावट आती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। इसे जब प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, तो यह मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो यह कीमतों में उतार-चढ़ाव की रफ्तार को दर्शाती है। यही वजह है कि कई बार थोक या खुदरा महंगाई की दर धीमी होने पर भी बाजार में कीमतों में गिरावट नहीं आती।

हमारे देश में सरकार मुख्यत : 'थोक मूल्य सूचकांक' और 'खुदरा मूल्य सूचकांक' के रूप में हर माह मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करती है जिससे पता चलता है कि उक्त महीने में महंगाई बढ़ी या घटी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) का आकलन चुनिंदा 697 वस्तुओं की थोक कीमतों में उतार-चढ़ाव के आधार पर किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सेवाएँ शामिल नहीं हैं। थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं को तीन वर्गों-प्राथमिक उत्पाद, ईधन-बिजली और विनिर्मित उत्पादों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें शामिल कृषि उत्पादों के भाव पर नजर रखने के लिए निर्धारित मंडियों से थोक भाव लिया जाता है, जबकि विनिर्मित उत्पादों के लिए एक्सफैक्ट्री प्राइस (फैक्ट्री मूल्य) और खनिजों के लिए एक्स-माइन प्राइस (खदान पर खनिज के मूल्य) को संज्ञान में लिया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के बास्केट में जो वस्तुएँ शामिल हैं, उन्हें उनके 'उत्पादन मूल्य' के आधार पर बेटेज दिया जाता है। इसके बाद थोक मूल्य सूचकांक को आधार वर्ष पर व्यक्त किया जाता है। जैसे हमारे देश में थोक मूल्य सूचकांक का आधार 2011-12 है। उदाहरण के लिए 2011-12 में अगर थोक मूल्य सूचकांक 100 था और अब यह 110 है तो महंगाई दर 10 फीसद होगी। प्रत्येक माह के आंकड़े को उसके अगले महीने की 14 तारीख को जारी किया जाता है। उदाहरण के लिए सरकार ने फरवरी, 2018 के थोक महंगाई के आंकड़े 14 मार्च को जारी किए। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि फरवरी, 2018 के थोक मूल्य सूचकांक की तुलना फरवरी, 2017 से की गई थी। थोक महंगाई दर अर्थव्यवस्था में आपूर्ति पक्ष की स्थिति दर्शाती है। इसमें गिरावट या वृद्धि के आधार पर सरकार आपूर्ति सुधारने खासकर खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु बनाने के लिए कदम उठाती है।

खुदरा महंगाई : खुदरा महगाई दर का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकाक (सीपीआइ) के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के लिए इसका आकलन अलग-अलग होता है। आम तौर पर परिवार जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, उन्हें सीपीआइ बास्केट में शामिल किया जाता है। फिलहाल इसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 448 और शहरी क्षेत्रों के लिए 460 वस्तुएँ व सेवाए शामिल हैं। इसमे खाद्य वस्तुओं व शिक्षा, स्वास्थ्य और मकान के किराए जैसी सेवाओं पर खर्च भी शामिल है साख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय हर महीने की 12 तारीख को पिछले महीने के लिए खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी करता है। इसका इस्तेमाल रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति तय करने के लिए करता है। खुदरा महगाई दर में उतार-चढ़ाव के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का महगाई भत्ता तय होता है और इसी के आधार पर आरबीआइ अपनी रेपो दर घोषित करता है, जिससे ब्याज दरें तय होती है। खुदरा महँगाई बढ़ने से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है, जिनकी मासिक आय फिक्स्ड है। उदाहरण के लिए पेशनर और वरिष्ठ नागरिक, जो बैंक में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज से अपना गुजारा करते हैं। महंगाई बढ़ने से ऐसे लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इससे उनकी वास्तविक आय (रियल इनकम) कम हो जाती है। **(साभार : दैनिक जागरण, 19.3.2018)**

केवाईसी के बिना लेनदेन कठिन होगा

अगर आप लेनदेन के लिए डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो कंपनी को केवाईसी से जुड़ा ब्योरा देने के सिर्फ पाँच दिन ही शेष हैं। आरबीआई के कड़े मानकों के अनुसार, अगर वॉलेट यूजर 28 फरवरी तक जरूरी जानकारी नहीं देते हैं तो वह हर माह दस हजार रुपये से ज्यादा का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।

वे इससे ज्यादा रकम वॉलेट में रख भी नहीं पाएंगे। एक मोबाइल वॉलेट कंपनी के अधिकारी ने कहा कि अगर केवाईसी मानक पूरी सख्ती से लागू किए जाते हैं तो इस पूरे सिस्टम पर असर पडेगा। **(साभार : हिन्दुस्तान, 24.2.2018)**

गहनों के बाजार में स्ट्रीट लाइट तक नहीं

बाकरगंज : बिहार की सबसे बड़ी सर्राफा मंडी है, राज्य के सभी हॉल मार्किंग केन्द्र यहीं पर

• 300 से अधिक सर्राफा दुकानें हैं बाकरगंज में • 1905 से आबाद है यह पटना की सबसे पुरानी मंडी • 1990 के बाद तेजी से इस मंडी का हुआ विस्तार • 01 करोड़ का रोजाना औसतन कारोबार होता है।

बाकरगंज बिहार की सबसे बड़ी सर्राफा मंडी है। राज्य के सभी हॉल मार्किंग केन्द्र भी यहीं हैं। इसी मार्केट में गोला रोड है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें हैं। यहाँ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान व जेवर मिलते हैं। इसलिए पूरे राज्य से आम लोग व दुकानदार यहाँ खरीदारी करने आते हैं।

पार्किंग व लाइट की समस्या : मंडी की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है। सर्राफा व्यवसायी शशि कुमार ने बताया कि मंडी के आसपास रोजाना जाम लगता है। गहनों की चमक वाली मंडी में स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। यहाँ शाम व रात में अंधेरा रहता है। सार्वजनिक शौचालय और पानी की भी कमी है। उद्योग भवन के पीछे पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन जिम्मेवार ध्यान नहीं दे रहे हैं।

गोला रोड में पैदल चलना भी दूभर : यह पहले बाकरगंज गोला के नाम से मशहूर था। यहाँ दाल-चावल की मंडी थी। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ ऑडियो कैसेट, फिर सीडी, डीवीडी और इलेक्ट्रॉनिक सामान का मार्केट बन गया। दुकानदार राजेश कुमार उर्फ राजू ने बताया कि गल्ला मंडी से शूरू होने वाला गोला रोड इलेक्ट्रोनिक्स व मोबाइल एसेसरीज के मार्केट में तब्दील हो गया है। यहाँ से उत्तरी बिहार के अलावा गया, रोहतास और भोजपुर तक इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल एसेसरीज की सप्लाई होती है। यहाँ 1500 से अधिक दुकानें हैं। यहाँ दिल्ली, कोलकाता व मुम्बई से माल आता है। यहाँ पार्किंग सबसे बड़ी समस्या है। स्थिति यह है कि पैदल चलना भी दूभर है।

"बाकरगंज बारीपथ में पूरे बिहार के रिटेलर आते हैं। यहाँ पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या हैं। गाड़ी खड़ी करने में घंटों लग जाते हैं।

– विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलिपुत्र सर्राफा संघ

"बाकरगंज बिहार की पुरानी मंडियों में से एक है। लेकिन, यहाँ ग्राहकों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है। **– शशि कुमार,** सर्राफा व्यवसायी

(साभार : हिन्दुस्तान, 24.2.2018)

खेल उद्योग को लुभाएगी बिहार सरकार

बिहार सरकार ने खेल उद्योग पर ध्यान देने का फैसला किया है। इसके लिए राज्य सरकार अब खेल सामग्री के निर्माण से जुड़ी इकाइयों को बिहार में आकर्षित करेगी, साथ ही इस उद्योग के लिए जरूरी नीति और बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया जाएगा। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 16.2.2018)**

बिक्री से पहले ही छुड़ाई जा सकती है गिरवी संपत्ति

उच्चतम न्यायालय ने पिछले सप्ताह व्यवस्था दी कि सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बिक्री या हस्तांतरण के लिए तय-तिथि से पहले ही गिरवी रखी गई संपत्ति छुड़ाई जा सकती है, उसके बाद नहीं। न्यायालय ने द्वारिका प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अपने फैसले में कहा कि केवल उन्हीं मामलों में गिरवी संपत्ति की बिक्री या हस्तांतरण नहीं किया जा सकता जिनमें सुरक्षित ऋणदाता के बकाये का लागत, शुल्क और खर्च के साथ बिक्री के लिए तय तिथि से पहले भुगतान कर दिया गया हो। इस मामले में प्रसाद कॉर्पोरेशन बैंक से शिक्षा ऋण के लिए गारंटर थे और उन्होंने अपनी संपत्ति गिरवी रखी थी। कई बार अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं हुआ। इसलिए बैंक ने गारंटर की संपत्ति की नीलामी कर दी। इस बीच प्रसाद ने अपनी संपत्ति की बिक्री रोकने के लिए ऋण वसूली पंचाट और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लेकिन उनकी संपत्ति बिक गई और इसका मालिकाना हक खरीदार को दे दिया गया। प्रसाद का आरोप था कि उन्होंने पूरा बकाया राशि के भुगतान की पेशकश की थी और इसलिए बिक्री नहीं होनी चाहिए थी। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिभूतिकरण कानून और संपति हस्तांतरण के प्रावधानों का हवाला देकर उनकी दलील की खारिज कर दिया। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 12.3.2018)**

वैशाली में चार सड़कों का होगा उन्नयन: नंदकिशोर

पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा है कि जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मभूमि वैशाली जिले में सड़कों के उन्नयन और विकास की चार बड़ी योजनाओं को विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है। वैशाली जिले के विभिन्न भागों में 123.67 करोड़ रुपये की लागत से 60 किमी पथों का निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण सहित अन्य प्रकार के विविध कार्य किये जायेंगे।

श्री यादव ने कहा कि वैशाली जिले के हाजीपुर के अन्तर्गत बिदुपर-राजापाकर-बेलकुंडा-सराय पथ में लगभग 20 किसी की लंबाई तक मिट्टी कार्य, पथ परत, ड्रेन निर्माण, डायवर्सन सहित पथ संधारण आदि कार्य के लिए 42,83 करोड़ बहुआरा चौक-मुसापुर-हर प्रसाद पथ के साढ़े 14 किसी की लम्बाई तक पथ संधारण व मजबूतीकरण कार्य के लिए 28.96 करोड़, कुशहर चौक से चन्दाहा पथ में 14.90 किसी लंबाई में मिट्टी व अलकतरा, पीसीसी सहित विविध कार्य के लिए 25.46 करोड़ और भगवानपुर-रत्ती-सरैया पथ में 11 किमी की लम्बाई तक उपरोक्त कार्यों के लिए 26.42 करोड़ रुपये की विभाग ने मंजूरी दी है। श्री यादव ने बताया कि सारण जिले के छपरा के अंतर्गत भेल्दी से भिट्टी बाजार वाया रसलपुर टेहटी-शिवगंज पथ में 20 किमी की लंबाई तक सीमेंट कंक्रीट पथ, उच्चस्तरीय आरसीसी पुल, कल्वर्ट, डायवर्सन एवं पथ परत कार्य सहित अन्य कार्यों के लिए 49.56 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 18.2.2018)**

बिहार की 5 पर्यटन योजनाओं को केन्द्र सरकार की मंजूरी

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वदेश दर्शन योजना के तहत अब तक बिहार की कुल पाँच योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है। इनमें स्प्रीचुअल सर्किट के रूप में वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी, सुलतानगंज-धर्मशाला-देवघर और मदार हिल-अंग प्रदेश शामिल हैं। तीनों योजनाओं के लिए क्रमश: 52.39 करोड़, 52.35 करोड़ और 53.49 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है। बुद्धिस्ट सर्किट के तहत बोधगया में कल्चरल सेंटर के लिए 98.73 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गयी है। रूरल सर्किट के तहत भितिहरवा-चंद्रहिया-तुरकौलिया के लिए 44.65 करोड़ की योजना पर सहमति प्रदान की गयी है। यह जानकारी केन्द्रीय पर्यटन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के. जे. अलफोंस ने की लोकसभा में गोड्डा से भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे के सवाल पर दी। श्री दुबे ने बिहार और झारखंड में पर्यटन विकास के लिए चलायी जा रही योजनाओं के संदर्भ में जानकारी मांगी थी। **(साभार : प्रभात खबर, 7.3.2018)**

फैक्ट्री के लिए ईएमआई पर बिल्डिंग देगा बियाडा

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्री के लिए शेड बनाकर उद्यमियों को देगा। इसे ईएमआई पर भी देने की योजना पर विचार कर रहा है। शेड की लागत मूल्य प्राधिकरण ईएमआई के आधार पर वसूलेगा। शुरूआती दौर पर बियाडा रेंट लेगा और धीरे-धीरे मूल्य लेकर वह शेड उद्यमियों को दे देगा। आमतौर पर उद्यमियों को फैक्ट्री लगाने में कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा निवेश करना पड़ता है। बना बनाया शेड उपलब्ध होने पर उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। बची हुई राशि का प्रयोग वे अन्य कार्य में कर सकते हैं। बियाडा के प्रबंध निदेशक आर. एस. श्रीवास्तव ने कहा कि उद्यमियों के लिए शेड बनाने के लिए तीन एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। शेड रेंट पर लेकर उद्यमी काम कर सकते हैं। ईएमआई के आधार पर भी शेड देने की योजना है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 12.3.2018)**

जीएसटी रिटर्न में गलत जानकारी दी तो कार्रवाई

जीएसटी के तरह बिक्री की जानकारी और कर संबंधी रिटर्न में बड़े अंतर सामने आए हैं। सरकार गलत जानकारी देने पर कार्रवाई कर सकती है। जीएसटी परिषद की बैठक में बताया गया कि आंकड़ों के विश्लेषण में स्वघोषित जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी फार्मों के आंकड़ों में अंतर दिख रहा है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 12.3.2018)

बस एक फुट ओवरब्रिज से भारत से जुड़ जाएगा मित्र राष्ट्र नेपाल

अक्टूबर से दोनों देशों के बीच शुरू हो जाएगा रेल परिचालन, 700 करोड़ रु की लागत से बन रही बड़ी रेल लाइन

1940 में दरभंगा महाराज ने लीज पर दी थी जमीन : 1940 में दरभंगा महाराज ने नेपाल सरकार के आग्रह पर जयनगर स्थित नेपाली स्टेशन वाला भूखंड नेपाल सरकार को लीज पर दिया था। जब तक दोनों देशों के बीच ट्रेन का परिचालन होगा। तब तक भारतीय क्षेत्र का यह भूखंड रेलवे के वास्ते लीज पर रहेगा। दरभंगा महाराज एवं नेपाल सरकार के बीच यह एग्रिमेंट हुआ था। बड़ी रेल लाइन 700 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 16.2.2018)

पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सिमरिया

सिमरिया धाम का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। इसे विभागीय निर्माणाधीन रोडमैप में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए बेगूसराय के जिलाधिकारी से जमीन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। यह जानकारी बिहार विधान परिषद में को पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने दी।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 7.3.2018)

शहरी निकायों में कचरा प्रबंधन पर काम शुरू

पटना, खगौल, दानापुर फुलवारी में कचरा से बनेगी बिजली

राज्य के सभी शहरी नगर निकायों में कचरा प्रबंधन को लेकर काम शुरू हो गया है। पटना में तो अब जल्द ही प्लांट लगाने का काम शुरू होगा। चयनित एजेन्सी को सरकार ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर जल्द प्लांट नहीं लगाया गया तो एजेन्सी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा।

तैयारी : • जल्द प्लांट नहीं लगाई तो टर्मिनेट होगी पटना की एजेन्सी • मुजफ्फरपुर और बोधगया में कचरा से बनेगा कम्पोस्ट • 21 नगर निकायों में कचरा डंप करने के लिए जमीन की व्यवस्था कर ली गई है • 16 नगर निकायों के लिए भी जल्द डीपीआर बनाने का निर्देश दिया गया है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 5.3.2018)

पटना-गया-राजगीर के बीच हाईस्पीड ट्रेन

योजना जापान की वित्तीय संस्थाओं के साथ बन सकती है हाईस्पीड ट्रेन बौद्ध सर्किट कॉरिडोर पर सहमति

पथ निर्माण विभाग ने पटना-गया-राजगीर-पटना के बीच एक हाईस्पीड कॉरीडोर के निर्माण की योजना बनाई है। जापान की वित्तीय संस्थाओं के समक्ष टोक्यो में इस प्रोजेक्ट पर पहला प्रेजेंटेशन होगा। बौद्ध सर्किट के पर्यटकों के लिए विशेष रूप से हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को तैयार किया गया है। यह मुख्य रूप से हरियाणा के गुरुग्राम से पुरानी दिल्ली स्थित कश्मीरी गेट के बीच विकसित होने वाले हाईस्पीड ट्रेन कॉरिडोर की तर्ज पर है।

वैशाली कॉरिडोर की योजनाओं के लिए भी इंतजाम : बौद्ध सर्किट में शामिल वैशाली के लिए वैशाली कॉरिडोर के लिए भी जापान की वित्तीय संस्थाओं से अर्थ की व्यवस्था की जानी है। बख्तियारपुर-ताजपुर पुल के आखिरी छोर से वैशाली कॉरिडोर को विकसित किया जाना है। इसके अतिरिक्त राजगीर से पटना भी एक नयी सड़क को विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

पटना एयरपोर्ट से गया एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी : हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर को इस तरह से डिजायन किया गया है कि पटना एयरपोर्ट से गया एयरपोर्ट को सीधी कनेक्टिविटी मिल जाए। हाई स्पीड कॉरिडोर के विकसित होने से यह सफर काफी कम समय का हो जाएगा। बोधगया से बौद्ध सर्किट की यात्रा करने आए पर्यटक राजगीर और नालंदा जाते हैं। इन जगहों के लिए भी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। **(साभार : दैनिक जागरण, 18.2.2018)**

महत्वपूर्ण सूचना

विमान सेवा के संबंध में Spice Jet एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के साथ हुए Corporate Tie-up के संबंध में।

हमें हर्ष के साथ सूचित करना है कि विमान सेवा को सदस्यों के लिए सहज एवं किफायती बनाने के उद्देश्य से बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने Spice Jet के साथ एक Corporate Tie-up किया है। जिसके अन्तर्गत विमान सेवा का टिकट रद्द करने या यात्रा की तिथि में परिवर्तन के लिए किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा, यात्रा के दौरान Complimentary Snacks एवं Choice Seat from Row 5 onwards आदि की व्यवस्था होगी।

चैम्बर की ओर से सदस्यों को इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु वर्तमान में छः ट्रैवेल एजेंसियों के साथ Corporate Tie-up की Mapped की गयी है, जो निम्नलिखित है:-

Sl. No.	Travel Agency	Name	Mob. No.
(1)	Mamta Travels	Kumud Ranjan	9334403256
(2)	Super Tour & Travel Agencies	Dipak Kr. Saha	9334100109
(3)	Apsara Travels Services	Kumar Deepeish	9334900207
(4)	Joss Air World	Prakash Jain	9931399853
(5)	Yatri Travels Pvt. Ltd.	Shyam Agrawal	9934905962
(6)	Travel Cruise India Pvt. Ltd.	Aparesh Goswami	9308744062

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Direct Taxes
New Delhi, 27th March, 2018

PRESS RELEASE

CBDT extends date for linking of Aadhaar with PAN

CBDT had allowed time till 31st March, 2018 to link PAN with Aadhaar while filing the Income Tax Returns. Upon consideration of the matter, CBDT, further extends the time for linking PAN with Aadhaar till 30th June, 2018.

(Surabhi Ahluwalia)
Commissioner of Income Tax
(Media & Technical Policy)
Official Spokesperson, CBDT

विनम्र निवेदन

चैम्बर द्वारा माननीय सदस्यों से मेम्बरसिप डायरेक्ट्री में प्रकाशनार्थ सूचनायें माँगी गई हैं। काफी सदस्यों ने कृपापूर्वक सूचनायें भेज दी हैं। जिन सदस्यों ने अभी तक नहीं भेजा हो, कृपया यथाशीघ्र भेजने की कृपा करें ताकि डायरेक्ट्री के प्रकाशन में सुविधा रहे।

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296